



ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति (VFPMC) व ईको डवलपमेंट कमेटी (EDC) में महिलाओं की भागीदारी

वन प्रबंधन में समानताः सामुदायिक समर्थन और संरक्षण में वृद्धि

ग्रामीण संस्थाओं की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व में 33 प्रतिशत महिला सदस्य सुनिश्चित की गई हैं।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष मे से किसी एक (या अधिक) पद पर महिला होना आवश्यक है।

ग्रामीण संस्थाओं को अपनी बैठकें (दिनांक, समय एवं स्थान) महिलाओं की सुविधा के अनुसार आयोजित करनी चाहिए।



महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 7 महिलाओं की एक उप समिति का गठन किया जाता है।

उप समिति को विभिन्न विभागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों (जैसे महिलाओं पर शोषण एवं निजी स्वच्छता भी शामिल हो) को उठाकर उनका समाधान करना चाहिए।

ग्राम सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी एवं उनसे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होना आवश्यक है।



राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति (आर.वी.जे.वी.वी.एस.)